प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 02/2006

याचिकाकर्तागण जगमोहन गैरोला एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल

श्री अभिषेक सिन्हा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अशोक स्वर्णकार अधिवक्ता उत्तरवादी की ओर से।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका

आदेश

(06.04.2010)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत, दिनांक 17.04.2006 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा एक परिवाद प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने, इसके अतिरिक्त, दांडिक प्रकरण क्रमांक 680/2006, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु प्रार्थना की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 24.12.2005 को अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से उत्तरवादी सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में वरिष्ठ सहायक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और अनावेदक क्रमांक 1 (यहां याचिकाकर्ता क्रमांक 1) के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। यह आरोप है कि परिवादी की पत्नी श्रीमती मधु अग्रवाल इंडिका कार, जिसका पंजीकरण क्रमांक C.G.10 BC 9150 है, की मालकिन हैं। जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से विधिवत बीमित थी जहां परिवादी और वर्तमान याचिकाकर्ता कार्यरत हैं। यह भी आरोप है कि दिनांक 17.5.2005 को श्रीमती मधु अग्रवाल की उक्त कार का एक्सीडेंट हो गया, और इसलिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष एक दावा मामला प्रस्तुत किया

गया जिसे दिनांक 18.10.2005 को अनुलग्नक पी-4 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया। परिवादी के अनुसार, अपनी पत्नी श्रीमती मधु अग्रवाल के दावे को अस्वीकार करते समय दिनांक 18.10.2005 के अस्वीकृति पत्र में मानहानिकारक भाषा का उपयोग किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता क्रमांक 2 पिनाकी मल्लिक ने हस्ताक्षर किए हैं, और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध किया है।

3. अपने वाद के समर्थन में, परिवादी सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती मधु अग्रवाल के कथन क्रमशः दिनांक 8.2.2006 और 8.3.2006 को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए थे, और उसके बाद दिनांक 17.4.2006 को मामले का संज्ञान लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान परिवादी एस.के. अग्रवाल की पहल पर शिकायत विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 18.10.2005 का पत्र वर्तमान उत्तरवादी को नहीं, बल्कि श्रीमती मधु अग्रवाल को संबोधित था। इसके अलावा, वाहन श्रीमती मधु अग्रवाल के नाम पर बीमित था और दिनांक 18.10.2005 का पत्र भी उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, तथा उसकी प्रति किसी अन्य को पृष्ठांकित या अग्रेषित नहीं की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान परिवादी की ओर के कहने पर परिवाद विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि पूरी परिवाद को उसी रूप में लिया जाता है, तब भी याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, और याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को केवल इस आधार पर आरोपी बनाया गया है कि उन्होंने मंडल प्रबंधक की ओर से दिनांक 18.10.2005 के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि परिवाद और दिनांक 18.10.2005 के पत्र के केवल पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि परिवादी के विरुद्ध मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 18.10.2005 के पत्र का कोई प्रकाशन भी नहीं हुआ है और वह केवल श्रीमती मधु अग्रवाल को यह सूचित करने के लिए एक आंतरिक संचार था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उनके दावे को किस आधार पर अस्वीकार किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान परिवाद व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण संस्थित किया गया है, जैसा कि परिवादीके कंडिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है, जिसमें परिवादी सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके और याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के बीच, जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि श्री एस.के.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अग्रवाल ने 8.2.2006 को न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी लगभग समान अभिकथन किए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.10.2005 के पत्र में श्रीमती मधु अग्रवाल के दावे को अस्वीकार करते समय बीमा कंपनी द्वारा विभिन्न कारण बताए गए हैं, जैसे कि प्रश्नाधीन वाहन निजी उपयोग के लिए पंजीकृत था, जबकि घटना के समय उसका उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था, और इसलिए बीमा पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पत्र में यह भी कहा गया है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के बारे में पूरी तरह से जानते हुए भी, गलत तथ्यों के आधार पर और कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करने के बाद बीमा कंपनी के समक्ष एक झूठा दावा प्रस्तुत किया गया था और इसे पुलिस अधीक्षक, जांजगीर के द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था और इसलिए, किसी भी तरह से, पत्र की सामग्री को झूठा आरोप या मानहानिकारक प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि श्रीमती मधु अग्रवाल के दावे की अस्वीकृति को उनके द्वारा जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के समक्ष चुनौती दी गई थी , जिसे दिनांक 15.10.2008 के आदेश (अनुलग्नक ए-1) द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिला आयोग का यह आदेश श्रीमती मधु अग्रवाल द्वारा राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के समक्ष चुनौती के विषयाधीन है और वही लंबित है। अपने निवेदन के समर्थन में, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) (2002) 1 एससीसी 241, पृष्ठ 252 पर (एस.डब्ल्यू. पालानितकर बनाम बिहार राज्य)

(2) (2010) 1 एससीसी 322 (परमिंदर कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)

(3) (2009) 14 एससीसी 466, पृष्ठ 471 पर (शक्सॉन बेल्थिसोर बनाम केरल राज्य)

(4) (2003) 4 एससीसी 675, पृष्ठ 681 पर (बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य)

(5) (2009) 2 एससीसी 370, पृष्ठ 376 पर (धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य)

(6) (1969) 1 एससीसी 37, पृष्ठ 39 पर (एम.सी. वर्गीस बनाम टी.जे. पूनम)

(7) एआईआर 1969 इलाहाबाद 423 (हरदेवी मलकानी बनाम यू.पी. राज्य)

5. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय और संपूर्ण कार्यवाही का समर्थन करते हुए, उत्तरवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट उक्त पत्र का संज्ञान लेने और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने में पूरी तरह से न्याय संगत थे। उनका निवेदन है कि उत्तरवादी सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्रीमती मधु अग्रवाल के पति होने के नाते, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, पहला इस आधार पर कि वह श्रीमती मधु अग्रवाल के पति हैं, और दूसरा यह कि दिनांक 18.10.2005 के पत्र का भाव ही ऐसा है जो याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भी आरोप लगाता है। उनका निवेदन है कि दिनांक 18.10.2005 के पत्र के कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बीमा कंपनी की प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जानते हुए, गलत तथ्यों के आधार पर, बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई है और इसलिए, वास्तव में आरोप याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भी हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य जो 1992 (सप्ली.) 1 एस.सी.सी 335 में प्रकाशित हुआ है, के अनुपालन मे, यह न्यायालय ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जहां विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रक्रिया जारी की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

7. मामले के निर्विवादित तथ्य यह हैं कि परिवादी की पत्नी श्रीमती मधु अग्रवाल ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष एक दावा प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनकी इंडिका कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसलिए, वह दावा प्रपत्र अनुलग्नक पी-1 में उल्लिखित कुल 3,49,746/- रुपये की राशि की हकदार हैं। यह भी विवादित नहीं है कि श्रीमती मधु अग्रवाल के उक्त दावे को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिनांक 18.10.2005 के पत्र (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि दिनांक 18.10.2005 का पत्र श्रीमती मधु अग्रवाल को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था और उसकी प्रतिलिपि किसी और को पृष्ठांकित या अग्रषित नहीं की गई थी।

8. अब, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 18.10.2005 के पत्र-व्यवहार भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अपराध का गठन करता है या नहीं। तथ्यों और विधि पर आगे चर्चा करने से पहले, दिनांक 18.10.2005 के पत्र की सामग्री को देखना वांछनीय है, जिसका अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:-

दिनांक 18.10.2005

सेवा में,
श्रीमती मधु अग्रवाल,
पति श्री एस.के. अग्रवाल,
आशीष विला, ई.डब्ल्यू.एस.
50 के सामने, नेहरू नगर,
बिलासपुर (छ.ग.)
महोदया,
विषय: आपका मोटर दावा क्रमांक 31/2006/00100
वाहन क्रमांक सी.जी. 10 बी.सी. 9150
दुर्घटना की तिथि 17/5/2005
पॉलिसी क्रमांक 31/2005/07940

उपर्युक्त विषय के संबंध में, हम आपको सूचित करते हैं कि वाहन को हुए नुकसान के लिए आपके नीचे उल्लिखित दावे को सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया है। कि वाहन निजी उपयोग के लिए बीमित था, लेकिन दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग निजी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसे किराए के लिए टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा था। यह पाया गया है कि आपने पॉलिसी की शर्तों, सामान्य अपवाद 3 (ए), "उपयोग पर सीमाएं" का उल्लंघन किया है।

यह कि आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ सहायक श्री एस.के. अग्रवाल की पत्नी हैं। आपके द्वारा दायर किया गया और 24.5.2005 को हस्ताक्षरित दावा कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। दावे में, आपके द्वारा यह वचन दिया गया था और सहमति व्यक्त की गई थी कि यदि दुर्घटना के संबंध में कोई झूठी या कपटपूर्ण जानकारी दी जाती है या कोई जानकारी छिपाई जाती है, तो पॉलिसी अमान्य मानी जाएगी। प्राप्ति के सभी अधिकार और भविष्य के दावे जब्त कर लिए जाएंगे। 4.5.2005 को दायर किए गए दावे में, आपने वाहन के उपयोग के संबंध में झूठी जानकारी प्रस्तुत की और तथ्यों को दबा दिया। इतना ही नहीं, बीमा कंपनी की प्रक्रिया से भलीभांति अवगत होने के बावजूद, गलत जानकारी/आधार और कपटपूर्ण आधार पर दावा प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया/प्रयास किया।

यह कि, जांच में, बीमा कंपनी ने आपके द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी और दावे के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (अजय चटर्जी का पुलिस बयान) को झूठा पाया। आपने बीमा कंपनी के समक्ष स्पष्ट इरादे से दावा दायर नहीं किया, पूरी जानकारी प्रदान नहीं की गई, बल्कि, गलत उद्देश्य के लिए सही और कपटपूर्ण जानकारी और छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज़ों को दावा प्राप्त करने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत किया, दावा प्राप्त करने का बुरा प्रयास किया। यहां तक कि पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए परितोषण की पेशकश भी की गई, जबकि बीमा कंपनी और बीमाधारक के संबंध अत्यधिक सद्भाव पर आधारित होते हैं।

यह कि, जांच के दौरान, न्यायालय में पेश किए गए श्री अजय चटर्जी का पुलिस बयान छेड़छाड़ किया हुआ पाया गया और इस संबंध में, यहां तक कि एस.पी. जांजगीर ने भी एक टिप्पणी की है और इस संबंध में, उचित जांच और कानूनी कार्यवाही प्रगति पर हैं।

इसलिए, उपरोक्त कारणों के कारण, सक्षम अधिकारी द्वारा आपका दावा अस्वीकार कर दिया जाता है।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

धन्यवाद सादर

हस्ता/-
मण्डल प्रबंधक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पत्र से यह बहुत स्पष्ट है कि यह श्रीमती मधु अग्रवाल को यह सूचित करने के अलावा और कुछ नहीं है, कि जांच के बाद, उनका दावा वास्तविक नहीं पाया गया है और चूंकि उनके द्वारा कुछ गलत जानकारी दी गई है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह आगे दर्शाता है कि उक्त दावेदार द्वारा झूठी जानकारी देकर कपटपूर्वक दावा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यह पत्र यह भी दर्शाता है कि यह कुछ दस्तावेजों, विशेष रूप से दुर्घटना के समय वाहन में यात्रा कर रहे एक अजय चटर्जी के बयान पर आधारित है। पत्र पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा की रिपोर्ट पर भी आधारित है। विभाग को अजय चटर्जी के केस डायरी बयान में हेरफेर के बारे में सूचित करते हुए। यदि पुलिस अधीक्षक, जांजगीर- चांपा के पत्र (अनुलग्नक पी-3) को ध्यान में रखा जाए, तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दिनांक 18.10.2005 का पत्र और पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा का पत्र (अनुलग्नक पी-3) समान तथ्यों पर आधारित हैं। यह न्यायालय श्रीमती मधु अग्रवाल के दावे की अस्वीकृति की वैधता पर निर्णय नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके लिए उनके द्वारा अलग से कार्यवाही शुरू की गई है और कथित तौर पर वह अभी भी राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के समक्ष लंबित हैं। इस पत्र का भाव किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि इसमें किसी भी मानहानिकारक भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, यदि तर्क के लिए यह स्वीकार भी कर लिया जाता है कि पत्र में मानहानिकारक शब्द उल्लिखित हैं, तब भी स्वीकृत स्थिति यह है कि यह पत्र श्रीमती मधु अग्रवाल को संबोधित किया गया है और उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है और इस

पत्र की प्रतिलिपि किसी और को पृष्ठांकित या अग्रषित नहीं की गई है। यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि जब तक इस तरह के मानहानिकारक पत्र, यदि कोई हो, को प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जाता है , तब तक वह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अपराध का गठन नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने ***कुंदनमल बनाम एम्परर*** जो ***एआईआर 1943 सिंध 196*** में प्रकाशित, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया गया है,जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि -

> *"मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन इसमें उसे किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित करना शामिल है, न कि उस व्यक्ति को जिसे वह संबोधित किया गया है।"*

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि:

> *"गैटली ऑन लिबेल एंड स्लेंडर एड. 2, एक पत्र में मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन के संदर्भ में। पृष्ठ 95 पर यह कहा गया है कि सामान्य तौर पर प्रकाशन नहीं होता है जब मानहानिकारक आरोप वाला एक पत्र सीधे मानहानि वाले व्यक्ति को भेजा जाता है"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संबंध है, यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कीमत पर इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में कार्यवाही को हमेशा अभिखंडित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ***एस.डब्ल्यू. पालानितकर बनाम बिहार राज्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> *"**23**. कई बार, वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित अनुबंध के उल्लंघन के लिए धन की जल्द से जल्द वसूली के उद्देश्य से दीवानी न्यायालय में जाने के बजाय, एक दुराशय के साथ या प्रतिशोध लेने, दबाव बनाने, आरोपी को परेशान करने के लिए अन्य सहायक उद्देश्यों के लिए पक्षों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत परिवाद दर्ज की जाती हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब पक्ष एक दांडिक अपराध का गठन करने वाला गलत कार्य करते हैं, जो किसी अपराध के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट करता है, तो उन्हें इस धारणा के साथ दूर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके विरुद्ध आपराधिक पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एक गलत या अवैध कार्य जैसे - न्यासभंग, दुर्विनियोजन, धोखाधड़ी या मानहानि सिविल और दांडिक दोनों पक्षों पर कार्रवाई को जन्म दे सकता है जब परिवाद और शपथ बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अपराध का गठन करने वाले*

आवश्यक तत्व मौजूद हैं। हो सकता है कि किसी दिए गए स्थिति में किसी कार्य के अभाव में पक्षों को केवल दीवानी पक्ष पर आगे बढ़ने का अधिकार हो जो अपराध का गठन करता है, लेकिन दांडिक अभियोजन में आरोपी के विरुद्ध आगे बढ़ने का नहीं। अतः प्रक्रिया जारी करने से पहले एक मजिस्ट्रेट को एस उपर्युक्त विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200-203 के प्रावधानों में निहित योजना को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना होगा और यांत्रिक रूप से या एक नियमित तरीके से नहीं बल्कि न्यायिक रूप से एक आदेश पारित करना होगा।

27. विचाराधीन मामले में, हमने ऊपर पहले ही कहा है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 7 को छोड़कर, शेष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि उनके विरुद्ध लगाए गए अपराधों के तत्व संतुष्ट नहीं थे। दुर्भाग्य से, माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता 1 से 6 और 8 के विरुद्ध नोटिस जारी करने में की गई स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा , जबकि उनके विरुद्ध कथित कृत्यों ने अपराध के तत्वों को संतुष्ट न करने के कारण अपराधों का गठन नहीं किया था। नोटिस जारी करते समय एक मजिस्ट्रेट द्वारा शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के दौरान दृष्टिकोण और विचार दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के तहत धारा 200 से 203 के संदर्भ में होने चाहिए, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में समझाई गई विधि की स्थिति पर उचित ध्यान देते हुए, और जबकि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उस उद्देश्य और प्रयोजन को देखना होता है जिसके लिए ऐसी शक्ति उसे उक्त प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उपलब्ध है। यह स्थिति होने के कारण, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में उसी के दायरे और सीमा के अनुरूप होना चाहिए। उपयुक्त प्रकरणों में, न्यायिक प्रक्रिया को निराश या प्रतिशोधी मुकदमेबाजों के हाथों उत्पीड़न या परेशानी का साधन बनने से रोकने के लिए, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है, ताकि न्यायिक मंच या न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को किसी भी दुराशय के लिए उपयोग करने की अनुमति न दी जाए। जब कोई व्यक्ति किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उच्च न्यायालय पहुंचता है, तो उसे न्याय के उद्देश्य एवं सेवा के लिए सावधानीपूर्वक ऊपर बताए अनुसार सावधानी के साथ शक्तियों का प्रयोग करना होता है।"

10. शैकसन बेलथिस्सर बनाम केरल राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया गया है कि:

> "14. प्रथम सूचना प्रतिवेदन और अभियोग पत्र को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिखंडित करने की शक्ति एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है। उक्त शक्ति न्यायालय द्वारा विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पुलिस द्वारा दायर परिवाद या आरोप पत्र किसी भी तरह से कोई अपराध प्रकट नहीं करता है, या जब उक्त परिवाद तुच्छ, तंग करने वाली या दमनात्मक पाई जाती है। उपरोक्त मुद्दे पर, परिवाद को अभिखंडित करने से संबंधित विधि कई निर्णयों में संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मै श्री अग्रवाल, उत्तरवादी के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई सार नहीं पता हूं कि धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत याचिका में यह न्यायालय विचारण द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही को अभिखंडित नहीं कर अभिलेखों और परिवाद की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि परिवाद दर्ज कराने का कारण यह है कि परिवादी /उत्तरवादी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।

12. मुझे श्री अग्रवाल, उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई सार नहीं प्रतीत होता कि उत्तरवादी को वर्तमान प्रकरण में परिवाद दायर करने का पूर्ण अधिकार है। यह स्वीकार किया जाता है कि पत्र श्रीमती मधु अग्रवाल को संबोधित किया गया था और उत्तरवादी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया था। यह केवल श्रीमती मधु अग्रवाल ही थीं जो परिवाद दर्ज कर सकती थीं, और यदि उत्तरवादी ऐसी कोई परिवाद दर्ज करने के लिए उत्सुक था, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी।

13. इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यह मामला नोटिस जारी करने के आदेश और याचिककर्ताओं के खिलाफ लंबित संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, अतः याचिका स्वीकृत की जाती है और दांडिक प्रकरण क्रमांक 680/2006 और दिनांक 17.4.2006 का आदेश (अनुलग्नक पी -8) इसके द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

14. इस प्रकार याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore